न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 11/2022

जाकिर हुसैन निवासी राज टाकिज के पीछे टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 23.5.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 2.03.2022 प्रेषित/प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 2022/219 दिनाक 7.03.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्ट्रट टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 यह कि श्री प्रहलाद सिंह तत्का. पटवारी हल्का कस्बा शर्की /हल्का कस्बा गर्बी टोंक के विरूद्व प्राप्त परिवाद सन् 2003 व सन् 2004 के जाच परिणामों की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

2 यह कि श्री प्रहलाद सिंह पटवारी/गिरदावर/नायब तहसीलदार भू.अ. निरीक्षक टोंक के विरूद्व पेण्डिग परिवाद जांच की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

3 यह कि परिवाद श्रीमति बिब्बो विरूद्व प्रहलाद सिंह पटवारी हल्का कस्बा शर्की टोंक दिनांक 29.10.2003 के जांच परिणाम व कि गई कार्यवाही की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

4 यह कि खसरा नं. 5408 हल्का कस्बा शर्की टोंक के नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के आधार की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

5 यह कि खसरा नं. 5407 कस्बा शर्की टोंक के नक्शा ट्रेस में तरमीम नही करने का आधार की सूचना एक-एक प्रति में उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 501 दिनांक 6.04.2022 व 510 दिनांक 13.04.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया [illegible] हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलेक्टर टोंक द्वारा उनके पत्र कमांक: रिकार्ड/आरटीआई/2020/2191 दिनांक 19.04.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना अपीलार्थी को

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय के पत्र क्रमांकः आरटीआई/2020/1723 दिनांक 25-03-2022 से नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क जमा कराने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने के लिये सूचित किया गया है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। बिन्दु संख्या 3,4 व 5 का संबंध तहसीलदार टोंक से होने के कारण पत्र क्रमांक 1510 दिनांक 15.03.2022 से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रमांक 538 दिनांक 22.4.2022 व 562 दिनांक 29.04.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 6391 दिनांक 16.05.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि बिन्दु संख्या 4 व 5 का संबंध पटवारी प.म. कस्बा टोंक शर्की से होने के कारण कार्यालय के पत्रांक 2174-75 दिनांक 5.4.2022 व 4825 दिनांक 5.5.2022 से सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न की गई है। बिन्दु संख्या 3 से संबंधित पत्रावली रिकार्ड कीपर के रिपोर्ट अनुसार कार्यालय हाजा के रिकार्ड रूम में नही पाई गई है। जवाब के अवलोकन से जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना बिन्दू संख्या 3, 4 व 5 को संकलित कर अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना बिन्दू संख्या 3, 4 व 5 की सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील बिन्दु संख्या 3, 4 व 5 की हद तक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:18:19 IST
Reason: SelfAttested